


दिनांक आज्ञा  
या कार्यवाही  
14/8/25

पत्रावली पेश हुयी वकील या  
उप. वकील या थिएने प्रि.पत्र  
लोकाल मिले जाने का निवेदन  
किया जिस पत्रावली का अकालिक  
काने के पर्याय या थिएने का प्रि.पत्र  
तदनुसार पुनः के पत्रावली के  
आधार पर लोकाल किया जाना है  
निर्णय पुस्तक से लका किया जाके  
हादिल मिलन हो पत्रावली मिलान  
शुभ्य होके इस तरह से करे

  
उप खण्ड अधिकारी  
साँभर लोक